## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

**पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)**

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| **035/2021** **(GCMS 2021/35)** | **17.03.2021** | **14.07.2021** |

**अनवान**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रार्थी**

**बनाम**

कमलेश जाट पुत्र रतनलाल जाट उम्र 30 जाति जाट निवासी जाटो का मौहल्ला, रेवाडा जिला चित्तौड़गढ़ (सदस्य)
मैसर्स कारास महिला ग्राम विकास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 रेवाडा तहसील राशमी, चित्तौड़गढ़ (राज.)
मो. 9828491151

**अप्रार्थी**

**–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–**

**–:: निर्णय ::–**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा दिनांक 01.08.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा था। इन्हें खाद्य सुरक्षा आयुक्त एंव निदेशक, राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 व 09.08.2011 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है जिसमें क्रम संख्या 67 पर इनका नाम अंकित है, आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 522 दिनांक 10.07.2020 द्वारा आवंटित कार्यक्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ दिया है जिसमें क्रम संख्या 02 पर इनका नाम अंकित है। आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 1041 दिनांक 31.12.2020 द्वारा कार्यक्षेत्र जयपुर प्रथम आंवटित किया गया है एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त एंव निदेशक राजस्थान सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 द्वारा कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई हैं सत्यापित छायाप्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.08.2020 को समय 10.30 एएम. पर मैसर्स कारास महिला ग्राम विकास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0, रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ पर पहुँचें। वहॉ पर कमलेश जाट पुत्र रतन लाल जाट निवासी जाटों का मौहल्ला, रेवाडा जिला चित्तौड़गढ़ उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया दुकान में स्टील के टेंक में खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क लगभग 200 लीटर रखा था। जिसका निरीक्षण करने पर शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता द्वारा मौके पर फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र नहीं होना बताया तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क हिला–मिला कर 02 लीटर वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 80/–रूपयें नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क 02 लीटर को 04 कांच के जारों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक नमूना भाग में प्रिजर्वेटिव फॉर्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर अच्छी तरह बंद कर 04 नमूना भाग तैयार किये आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर डॉ0 इन्द्रजीत सिंह अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक **AM 1199** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता कमलेश जाट पुत्र रतन लाल जाट ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में महेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी द्वारा खाद्य विश्लेषक, उदयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/4249 दिनांक 13.10.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट नम्बर एल.एस. 163/एक्ट/2020/172 दिनांक 07.08.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क **Contain extraneus matter** (**Under Section3(1)(i)**) **of the food safety and standard act 2006**) दर्शित किया गया। पत्र मय मूल पोस्टल रसीद, जॉच रिपोर्ट एवं पत्र डिलीवरी की ऑनलाईन रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2020/4249 दिनांक 13.10.2020 की पालना में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/932 दिनांक 01.03.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। उक्त प्रकरण में उपर अंकीत अभियुक्त ने **Contain extraneus matter** खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 54 में जुर्माना योग्य अपराध है एवं बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र के खाद्य कारोबार कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 मे जुर्माना योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 2 डॉ0 रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 3 महेन्द्र सिंह सहायक कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 4 नारायण लाल जाट पुत्र भैरूलाल जाट निवासी जवासिया तहसील रेलमगरा जिला राजसंमद मोबाई नंबर 9549549429 पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

1. गजट नोटिफिकेशन एवं शुद्धिपत्र की छायाप्रति।
2. कार्यक्षेत्र सीमा का गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति।
3. पदस्थापन कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रति।
4. फार्म न0 5 ए की मूल प्रति।
5. माल खरीद रसीद की मूल प्रति।
6. मौका फर्द की मूल प्रति।
7. विक्रेता द्वारा मौके पर पेश फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं स्वयं के आधार कार्ड की स्वः प्रमाणित छायाप्रतियां।
8. फार्म नं0 6 की मूल प्रति।
9. खाद्य विश्लेषक उदयपुर में नमुना मय फार्म नं0 6 की जमा रसीद।
10. फार्म नं0 6 अलग से सील्ड लिफाफे में जमा रसीद फार्म नं0 6 की पुष्ट पर।
11. अभिहित अधिकारी को नमुना के द्वितीय तृतीय व चौथा भाग मय फार्म नं. 6 जमा की रसीद मूल।
12. अभिहित अधिकारी का पत्र मय मूल पोस्टल रसीद, जांच रिर्पोट की प्रति एवं पत्र डिलीवरी की ऑनलाईन रिपोर्ट।
13. प्रकरण के मूल दस्तावेज जमा हेतु पत्र।
14. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु लिखा पत्र।
15. मूलजिम प्रति।

उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 14.07.2021 को अप्रार्थी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना किये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 01.08.2020 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 01.08.2020 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1199** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 67 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 8 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक महेन्द्रसिंह के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1199** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 9 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 का अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक महेन्द्रसिंह द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 04.08.2020 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 11 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 12 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2020/4249 दिनांक 13.10.2020 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 163/ACT/2020/172 Dated 07-08-2020** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 163/ACT/2020/172 Dated 07-08-2020** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

**Report LS 163/ACT/2020/172 Dated 07-08-2020**

Certified that I RAVI SETHI duly appointed is under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Naresh Kumar Chejara food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Mixed Milk (loose) bearing code no, and serial no. AM- 1199 of Designated officer (food Safety Cum C.M.&H.O.of District Chittorgarh on 04.08.2020 for analysis.
The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Scal No 67 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum in sealed envelope.
I found the sample to be Dairy products and analogues falling under Regulation No. 2.1.2(2b) (Mixed Milk) of Food Safety and Standards (lood products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 05.08.2020 to 07.08.2020 and the result of its analysis is given below-
ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The Sample packed in wide mouth glass jar.
(ii) Physical appearance:- White in color, homogeneous liquid. Milk in appearance.
(iii) Label :-- The Loose sample of mixed milk as per l'orm no. VI.

Opinion:- The sample of Mixed Milk (Loosc) Bearing code no, and serial no. AM- 1199 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is contain extraneous matter due to added skimmed milk powder. The sample is contain extraneous matters under section 3(1)(i) of the food Safety and Standards Act 2006,

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 67 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 05.08.2020 से 07.08.2020 को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Dairy products and analogues falling under Regulation No. 2.1.2(2b) (Mixed Milk) of Food Safety and Standards (lood products standards and food additives) Regulations 2011. of Mixed Milk (Loosc) Bearing code no, and serial no. AM- 1199 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is contain extraneous matter due to added skimmed milk powder. The sample is contain extraneous matters under section 3(1)(i) of the food Safety and Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1199** मिक्स मिल्क खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(i)** के तहत **EXTRANEOUS MATTERS** स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को पत्रांक/एफएसएसए/2020/4249 दिनांक 13.10.2020 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। उक्त जांच रिपोर्ट रिकार्ड पर होकर दस्तावेज क्रमांक 12 है। नमूने की जांच रिपोर्ट एवं प्रकरण में किये गये अनुसंधान के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2021/932 दिनांक 01.03.2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(**e**) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया हैं जो कि दस्तावेज क्रमांक 14 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में हाजिर नहीं रहे हैं जिससे अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई है जिससे अप्रार्थी की और से परिवाद का किसी भी प्रकार से खण्डन रिकार्ड पर नहीं है एवं यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ **EXTRANEOUS MATTERS** स्तर का है। अप्रार्थी द्वारा बिना खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा पत्र के खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 एवं 31 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :-

**25. All imports of articles of food to be subject to this Act.**

(1) No person shall import into India –

- (i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;
- (ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and
- (iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

**26. Responsibilities of the Food business operator.**

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.
(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

- (i) which is unsafe; or
- (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or
- (iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or
- (iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or
- (v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.
(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.
(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

**27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers**

(1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.

(2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–

- (a) Supplied after the date of its expiry; or
- (b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or
- (c) Unsafe or misbranded; or
- (d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or
- (e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or
- (f) received by him with knowledge of being unsafe.

(2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –

- (a) sold after the date of its expiry; or
- (b) handled or kept in unhygienic conditions; or
- (c) misbranded; or
- (d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or
- (e) received by him with knowledge of being unsafe.

**31. Licensing and registration of food business.**

(1) No person shall commence or carry on any food business except under a licence.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to a petty manufacturer who himself manufactures or sells any article of food or a petty retailer, hawker, itinerant vendor or a temporary stall holder or small scale or cottage or such other industries relating to food business or tiny food business operator; but they shall register themselves with such authority and in such manner as may be specified by regulations, without prejudice to the availability of safe and wholesome food for human consumption or affecting the interests of the consumers.

(3) Any person desirous to commence or carry on any food business shall make an application for grant of a licence to the Designated Officer in such manner containing such particulars and fees as may be specified by regulations.

(4) The Designated Officer on receipt of an application under sub-section (3), may either grant the licence or after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing, refuse to grant a licence to any applicant, if he is satisfied that it is necessary so to do in the interest of public health and shall make available to the applicant a copy of the order:

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Provided that if a licence is not issued within two months from the date of making the application or his application is not rejected, the applicant may start his food business after expiry of the said period and in such a case, the Designated Officer shall not refuse to issue a licence but may, if he considers necessary, issue an improvement notice, under section 32 and follow procedures in that regard.

(5) Every licence shall be in such form and subject to such conditions as may be specified by regulations.

(6) A single licence may be issued by the Designated Officer for one or more articles of food and also for different establishments or premises in the same area.

(7) If the articles of food are manufactured, stored, sold or exhibited for sale at different premises situated in more than one area, separate applications shall be made and separate licence shall be issued in respect of such premises not falling within the same area.

(8) An appeal against the order of rejection for the grant of licence shall lie to the Commissioner of Food Safety.

(9) A licence unless suspended or cancelled earlier shall be in force for such period as may be specified by regulations: Provided that if an application for a renewal of licence is made before the expiry of the period of validity of the licence, the licence shall continue to be in force until orders are passed on the application.

(10) The licence shall subsist for the benefit of the deceased's personal representative or any other member of his family, until the expiry of –

(a) the period of three months beginning with his death; or

(b) such longer period as the Designated Officer may allow.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** एवं सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 31 की उपधारा 2 का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** एवं सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 31 की उपधारा 2 का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी कमलेश जाट पुत्र रतनलाल जाट उम्र 30 जाति जाट निवासी जाटो का मौहल्ला, रेवाडा जिला चित्तौड़गढ़ (सदस्य) मैसर्स कारास महिला ग्राम विकास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 रेवाडा तहसील राशमी, चित्तौड़गढ़ (राज.) मो. 9828491151 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** एवं सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 31 की उपधारा 2 के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** एवं सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 31 की उपधारा 2 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 54 एवं 58 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49, 54 एवं 58 के अनुसार–

**49. General provisions relating to penalty.**

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

**54. Penalty for food containing extraneous matter.**

Any person whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption containing extraneous matter, shall be liable to a penalty which may extend to one lakh rupees.

**58. Penalty for contraventions for which no specific penalty is provided.**

Whoever contravenes any provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder, for the contravention of which no penalty has been separately provided in this Chapter, shall be liable to a penalty which may extend to two lakh rupees.

विपक्षी की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** एवं सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 31 की उपधारा 2 के दोष की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अर्थदण्ड विपक्षी को किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री कमलेश जाट पुत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रतनलाल जाट उम्र 30 जाति जाट निवासी जाटो का मौहल्ला, रेवाडा जिला चित्तौड़गढ़ (सदस्य) मैसर्स कारास महिला ग्राम विकास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 रेवाडा तहसील राशमी, चित्तौड़गढ़ (राज.) मो. 9828491151 को रूपये 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावें एवं अप्रार्थी को नियमानुसार खाद्य अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही करावें। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 14.07.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:13:49 IST
Reason: SelfAttested